दिनांक 12,14,15 एवं 16 जून, 2017 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

सूडा के पत्रांक– 801/110/तीन/97–VII दिनांक 06–06–2017, द्वारा निर्गत पत्र के माध्यम से चार चरणों में दि0 12,14,15 एवं 16 जून,2017 को समस्त जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों तथा सिटी मिशन मैनेजर (एम.आई.एस.) के साथ सूडा द्वारा संचालित योजनाओ– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, अन्य योजनाओं तथा प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के अन्तर्गत चयनित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक का बिन्दुवार कार्यवृत्त निम्नवत् है:–

सर्वप्रथम एच0डी0एफ0सी0 बैंक के प्रतिनिधि द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थी को बैकर्स द्वारा दी जाने वाली ऋण/अनुदान तथा योजना के महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से उपस्थित सभी परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी तथा सिटी मिशन मैनेजर को अवगत कराया गया।

समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए कि मुख्यालय द्वारा निर्धारित समीक्षा बैठकों में कोई भी परियोजना अधिकारी अथवा सी0एम0एम0 बिना निदेशक की अनुमति के अवकाश नही लेगे तथा बैठक में स्वयं प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेगे।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

बैठक में दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक SM&ID के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु आवंटित अनन्तिम लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की शहरवार समीक्षा की गई जिसमें पाया गया कि SHG गठन में यथा **अमेठी, बदायूँ, बरेली, बिजनौर, चन्दौली– मुगलसराय, चन्दौली, चित्रकूट, शिकोहाबाद– फिरोजाबाद, हरदोई, कन्नौज, अकबरपुर– कानपुर देहात, कानपुर नगर, मंझनपुर– कौशाम्बी, महोबा, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, रामपुर, शाहजहॉपुर, शामली एवं सीतापुर** में SHG गठन की प्रगति शून्य पाये जाने पर गहरी निराशा व्यक्त की गयी है।

SHG गठन की सघन समीक्षा की गयी, प्रगति अपेक्षा के अनुरूप न पाये जाने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया तथा कड़े निर्देश दिये गये कि CMMU डूडा द्वारा सन्दर्भ संस्थाओं के साथ साप्ताहिक समीक्षा एवं दैनिक समन्वयन के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु आवंटित अनन्तिम लक्ष्यों के सापेक्ष प्रत्येक माह तदनुसार प्रगति सुनिश्चित की जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।

SM&ID घटक के अन्तर्गत SHG को RF के अन्तर्गत अवमुक्त की गई धनराशि की समीक्षा में पाया गया कि **बांदा, खुर्जा– बुलन्दशहर, बुलन्दशहर, मुगलसराय– चन्दौली, चन्दौली, गाजीपुर, हरदोइ, रामपुर एवं शाहजहॉपुर** शहरों द्वारा विगत वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में गठित किसी भी स्वयं सहायता समूहों को अभी तक रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त नही किया गया है, जबकि सभी शहरों में विगत वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में गठित किये गये कतिपय SHG, RF हेतु अर्ह है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में केवल 26 शहरों यथा (**आगरा, इलाहाबाद, अकबरपुर– अम्बेडकर नगर, औरैया, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, चित्रकूट, एटा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, शिकोहाबाद– फिरोजाबाद, दादरी– जी0बी0 नगर, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, जौनपुर, कानपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, खलीलाबाद– सन्तकबीर नगर, चन्दौसी– सम्भल, सम्भल एवं वाराणसी**) ही RF अवमुक्त किया गया है शेष किसी शहर द्वारा RF अवमुक्त नही

किया गया है। RF अवमुक्त नहीं किये जाने की स्थित पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी उपस्थित अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुसार सभी क्रियाशील एस0एच0जी0 को तत्काल रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये। यह भी निर्देश दिये गये कि यदि किसी शहर में इस घटक SM&ID के अन्तर्गत शहर/जिला स्तर पर फण्ड नही है तो तत्काल डिमांड एस0एम0एम0यू0 सूडा को उपलब्ध कराकर धनराशि अवमुक्त करा ली जाय तथा सभी 03 माह के क्रियाशील SHG को तत्काल RF अवमुक्त किया जाय।

समीक्षा में पाया गया कि 34 शहरों यथा **अम्बेडकर नगर– अकबरपुर, औरैया, बलिया, बांदा, बाराबंकी– नवाबगंज, बस्ती, ज्ञानपुर– भदोही, खुर्जा– बुलन्दशहर, मुगलसराय– चन्दौली, चन्दौली, इटावा, फर्रुखाबाद, शिकोहाबाद– फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, मोदीनगर– गाजियाबाद, गाजीपुर, हापुड, हरदोई, जालौन– उरई, जौनपुर, कन्नौज, कासगंज, कौशाम्बी– मंझनपुर, कुशीनगर– पड़रौना, लखीमपुर खीरी, मऊ, मिर्जापुर, मुज्जफरनगर, रायबरेली, सन्तकबीर नगर– खलीलाबाद, शाहजहॉपुर, श्रावस्ती– भिन्गा, सीतापुर, एवं वाराणसी** में SHG गठित होने के उपरान्त भी अभी तक क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन्स (ALF) का गठन नही किया गया है जिसको गम्भीरता से लेते हुए कड़े निर्देश दिये गये कि सभी शहर संदर्भ संस्थाओं के माध्यम से तेजी से कार्य करते हुए अपनी प्रगति सुधारे तथा प्रत्येक दशा में जुलाई माह में होने वाली समीक्षा में जून माह की प्रगति में ALF का गठन करके पंजीकरण कराकर रिर्पोट करें अन्यथा उनके एवं शहरों हेतु नामित सन्दर्भ संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

उक्त के साथ ही इस घटक के अन्तर्गत वित्तीय साक्षरता कैम्पों के आयोजन में भी विगत माह अधिकांश शहरों की प्रगति शून्य पाये जाने पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए तथा निर्देशित किया गया कि सभी परियोजना अधिकारी घटक के अन्तर्गत आवंटित सभी लक्ष्यों/गतिविधियों की साप्ताहिक सघन समीक्षा कर लक्ष्यों की प्रगति सुनिश्चित कराये। FLC के आयोजन में RBI के निर्देशों के क्रम में लीड बैंक से सहयोग लेकर तत्काल लक्ष्य पूर्ण करें। SHG सदस्यों के बैंक में बचत खाता खुलवाने में तथा प्रधानमंत्री जनधन योजनान्तर्गत बैंकों में खाता खुलवाकर रिपोर्ट करें इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी।

गठित SHG के सभी सदस्यों की तत्काल प्रशिक्षण पूर्ण कराने के साथ ही समन्वयन के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जनश्री बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं माइक्रोफाइन्नेंस का लाभ भी इस घटक एवं DAY-NULM के लाभार्थियों को दिलवाना सुनिश्चित करें क्योंकि इन सभी गतिविधियों की रिपोर्टिंग भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारुप के माध्यम से प्रत्येक माह की जाती है जिसमें अधिकांश शहरों से इन गतिविधियों में शून्य प्रगति परिलक्षित होने के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई है जिसे गम्भीरता से लेकर तत्काल प्रगति वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से ही सुधारने के कड़े निर्देश दिये गये।

इस घटक के अन्तर्गत शहरों में संचालित शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) की प्रगति पर भी असन्तोष व्यक्त करते हुए सभी PO's को संवेदित किया गया कि CLC को आत्मनिर्भर बनने में संचालन संस्था के साथ–साथ PO की अहम भूमिका है, जिसके दृष्टिगत आवश्यक है कि सभी PO's जनपदों में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–374/2016/771/69–1–2016–14(56)/2016 दिनांक 20.05.2016 के अनुक्रम में विभिन्न विभागों से समन्वयन CLC को कार्य दिलाकर शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्य करें। CLC को नगरीय निकायों से भी आउटसोर्स वाले कार्य दिलाये। मुख्य रुप से लोकवाणी केन्द्रों के संचालन का कार्य भी जनपद/शहर स्तर पर CLC के माध्यम से संचालित किये जाने के प्रयास किये जाये।

समीक्षा में पाया गया कि अधिकांश शहरों द्वारा CLC की नियमित मासिक आख्या प्रेषित नही की जा रही है जिसे गम्भीरता से लेते हुए नियमित मासिक आख्या SMMU सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिये गये।

आगरा, मेरठ, कन्नौज, शाहजहॉपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, मुजफ्फरनगर, बस्ती, हापुड़, बाराबंकी एवं सुल्तानपुर शहरों में CLC स्वीकृत के लगभग एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त अभी तक संचालित न किये जाने पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए तत्काल संचालन के कड़े निर्देश दिये गये। उक्त के साथ ही निम्नलिखित निर्देश दिये गयेः–

1. आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण किये जाने की रणनीति बनाते हुए लक्ष्यों को पूर्ण किये जाने हेतु तेजी से युद्ध स्तर पर कार्य किया जाये तथा **"मा0 मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता के दृष्टिगत 100 दिवसों में घटक के सभी गतिविधियों में तदानुसार लक्ष्य की प्राप्ति प्रत्येक दशा में इस माह जून, 2017 में सुनिश्चित की जाय।"**
2. निर्देश दिये गये कि सभी सन्दर्भ संस्थाओं से शहरों को आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु युद्ध स्तर पर कार्य कर विकेन्द्रीकृत रणनीति के आधार पर CRP के माध्यम से प्रत्येक दशा में लक्ष्यों को पूर्ण किया जाय।
3. समूहों के बैंक में खाते खोलने में आ रही समस्याओं को जिला स्तर पर होने वाली जिला स्तरीय बैंकर्स कमिटी की बैठक में रखा जाये तथा प्रयास यह किया जाये कि उक्त बैठक में जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा के समक्ष समस्याओं का समाधान कराया जाये विशेष परिस्थितियों में समस्या का समाधान न होने की स्थिति में उक्त समस्या को कार्यवृत्त में अभिलेखीकृत किये जाने पर बल दिया जाये जिससे उक्त कार्यवृत्त को संज्ञान में लेते हुए राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में चर्चा कर समस्या का समाधान कराया जा सके। उक्त के साथ ही ब्रांच एवं बैंकवार खाता खोलने के लम्बित प्रकरण का विवरण SMMU सूडा उ0प्र0 को भी उपलब्ध कराया जाय जिससे समस्या समाधान हेतु SLBC के माध्यम से संबंधित ब्रांचो/बैंको को निर्देशित कराया जा सके।

4. बैंक लिंकेज में आ रही समस्याओं के निदान हेतु जिला स्तर पर लीड बैंक के सहयोग से डी0एम0 की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठकों में आ रही समस्या विशेष एवं बैंक विशेष के सम्बन्ध में चर्चा कर समस्या का समाधान कराया जाये एवं विशेष परिस्थितियों में विस्तृत विवरण एवं बैंक विशेष से आ रही समस्याओं का उल्लेख करते हुए बैक एवं ब्रान्चवार समस्याओं के समाधान हेतु प्रकरण एस0एम0एम0यू0 सूडा को भी संदर्भित किया जाये ताकि राज्य स्तर पर एस0एल0बी0सी0 की बैठक में उक्त समस्या रखते हुए समस्या समाधान की दिशा में कार्यवाही करायी जा सके।

5. इस घटक की MIS पर प्रगति असन्तोषजनक पाये जाने पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई तथा निर्देशित किया गया कि CMM द्वारा MIS पर शत–प्रतिशत प्रगति अपलोड की जाय इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी।

EST&P- दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन(DAY-NULM) के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार(EST&P) के अन्तर्गत सभी शहरों में प्रशिक्षणार्थियों के सेवायोजन की स्थिति को देखते हुए निम्नवत् निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गयाः–

क्र. सं.	प्रशिक्षणार्थियों के सेवायोजन की स्थिति	शहरों के नाम	निर्देश
1.	50% से कम और 40% से अधिक	शाहजहॉपुर, दादरी (जी0बी0 नगर), बरेली, बदायूँ, मोदीनगर (गाजियाबाद), लोनी (गाजियाबाद), बिजनौर, बहराइच, कानपुर, सुल्तानपुर, अलीगढ़, फैजाबाद, कन्नौज, वाराणसी, उन्नाव, मथुरा, लखनऊ एवं जौनपुर।	इन शहरों को निर्देशित किया गया कि संस्थाओं को नोटिस जारी करते हुए रोजगार मेलों का आयोजन कराकर माह जून, 2017 तक न्यूनतम 50% सेवायोजन कराकर एम0आई0एस0 पर अपलोड करें जोकि माह जून, 2017 की मासिक समीक्षा में अनिवार्य रुप से परिलक्षित हो।
2.	40% से कम और 30% से अधिक	सम्भल, बुलन्दशहर, बांदा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बलरामपुर, मऊ, उनई (जालौन), प्रतापगढ़, चन्दौली, पड़रौना (कुशीनगर), गोरखपुर एवं लखीमपुर खीरी।	
3.	30% से कम और 20% से अधिक	खुर्जा (बुलन्दशहर), अमरोहा, खलीलाबाद (सन्त कबीर नगर), बलिया, मंझनपुर (कौशाम्बी), इटावा, ज्ञानपुर (भदोही), देवरिया एवं हरदोई।	इन शहरों को सख्त निर्देश दिये गये कि संस्थाओं को नोटिस जारी करते हुए रोजगार मेलों का आयोजन कराकर माह जून, 2017 तक न्यूनतम 50% सेवायोजन कराकर एम0आई0एस0 पर अपलोड करें जोकि माह जून, 2017 की मासिक समीक्षा में अनिवार्य रुप से परिलक्षित हो अन्यथा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति न होने की दशा में कठोर कार्यवाही की जायेगी
4.	20% से कम और 10% से अधिक	रामपुर, बस्ती, रायबरेली, रार्बटसगंज (सोनभद्र) एवं मुगलसराय (चन्दौली)	
5.	10% से कम और 01% से अधिक	शामली एवं फिरोजाबाद	
6.	01% से 00% के बीच	आजमगढ, औरैया, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), सिद्धार्थनगर एवं शामली	

EST&P के अन्तर्गत असेसिंग बॉडीस को ससमय भुगतान न होने की निरन्तर मेल और शिकायतें प्राप्त हो रही है। पूर्व में ही निर्देशित किया जा चुका है कि असेसिंग बॉडी को भुगतान करने के पश्चात ही कौशल प्रशिक्षण प्रदाता को द्वितीय किश्त जारी की जाय। अतः सभी शहरों को निर्देशित किया गया कि असेसिंग बॉडी को ससमय (बिल प्राप्त होने के 06 दिनों के अन्दर) भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

SEP – दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अन्तर्गत सभी शहरों द्वारा व्यक्तिगत एवं समूह में ऋण उपलब्ध कराये जाने की प्रगति संतोषजनक पायी गयी। SEP(I) के अन्तर्गत भौतिक प्रगति लगभग सभी जनपदों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष सन्तोषजनक पायी गयी है। अपितु SEP(I) के अन्तर्गत भौतिक प्रगति **आजमगढ़, बलरामपुर, जालौन, कौशाम्बी (मंझनपुर), औरैया, एटा, हाथरस, कन्नौज, कानुपर देहात, कासंगंज, बिजनौर, महाराजगंज, सीतापुर, चन्दौली, फिरोजाबाद (शिकोहाबाद), कुशीनगर (पड़रौना)** जनपदों की प्रगति शून्य है। इन जनपदों द्वारा माह के सापेक्ष यह तो बहुत कम प्रार्थना पत्र भेजे गये है या प्रार्थना पत्र भेजे ही नही गयी है। निर्देशित किया जाता है कि 100 दिनों के अनुसार कार्ययोजना बनाकर वार्षिक लक्ष्य को चार त्रैमासिक भागों में विभाजित करके 30 जून, 2017 तक प्रत्येक दशा में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जाय। लक्ष्य प्राप्त न करने वाले परियोजना अधिकारियों तथा सी0एम0एम0 का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जायेगा। कार्य में अपेक्षित सुधार न होने पर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जायें।

SEP(G) के अन्तर्गत **सिद्धार्थनगर, ललितपुर, झांसी एवं अलीगढ़** को छोड़कर शेष जनपदों की प्रगति शून्य है। अन्य जनपदों द्वारा स्वीकृति हेतु टास्क फोर्स से स्वीकृत कराके प्रार्थना पत्र संबंधित बैंको को नही भेजे गये है, यह स्थिती अत्यन्त निराशाजनक है। बैठक में परियोजना अधिकारियों द्वारा दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत निधारित लक्ष्यों की पूर्ति प्रत्येक दशा में 30 जून, 2017 तक पूर्ति की जाये। अन्यथा की स्थिति में परियोजना अधिकारियों तथा सी0एम0एम0 का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जायेगा।

SUH- वर्ष 2014–15 में स्वीकृत आश्रय गृहों में अभी तक कानपुर के 03 तथा लखनऊ के 02 आश्रय ही क्रियाशील हो पाये हैं जबकि उपलब्ध विवरणानुसार 14 आश्रय गृहों की भौतिक प्रगति शत प्रतिशत हो गई है। इन्हें एक माह में कार्यशील कराया जाय। ये आश्रय गृह इन नगरों में स्थित है:– कानपुर, लखनऊ, आगरा, मुरादाबाद, मऊ, रायबरेली, उन्नाव, मैनपुरी, गोण्डा, महोबा, सोनभद्र, रामपुर। जिन आश्रयों में निर्माण कार्य 75% तक पूर्ण है उन्हें जुलाई 2017 तक पूर्ण कर शीघ्र कार्यशील किया जाय और प्रबन्धन और अनुरक्षण के लिए धनराशि अवमुक्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय। जिन आश्रय गृहों का निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है, वहॉ उपलब्ध कराई गई धनराशि वापस प्राप्त की जाय ताकि निर्माणाधीन अन्य आश्रयों में उसका उपयोग हो सके।

जिन आश्रयों के निर्माण के संबंध में मा0 न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त है, उनमें प्रभावी पैरवी कर स्थगन आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जाय।

जनपदों के नगरीय निकायों में बेघर व्यक्तियों के सर्वेक्षण के संबंध में निर्देश जारी किये गये है, शहरी बेघरों की गणना और सर्वेक्षण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय।

SUSV- वर्ष 2015–16 में जिन 14 नगर निगमों में सिटी स्ट्रीट वेंडिग प्लान आदि तैयार करने हेतु एजेन्सी का अनुमोदन किया गया था किन्तु अभी तक वहॉ वेंडिग प्लान या तो तैयार ही नही किये गये है या सुसंगत प्राविधानों के अनुरुप नहीं बनाये गये हैं। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि एजेन्सी द्वारा सर्वेक्षित सभी पथ विक्रेताओं का बायोमैट्रिक सर्वे आवश्यक है। सर्वे के साथ पथ विक्रेताओं का आधार कार्ड नम्बर अवश्य लिया जाय। जिनके पास आधार कार्ड नही है, उनके आधार कार्ड बनवाने मे सहायता की जाय और आधार कार्ड संख्या अवश्य अंकित की जाय। नगर पथ विक्रय समिति के माध्यम से उन्हें परिचय पत्र, पथ विक्रय प्रमाण पत्र आदि भी जारी करवाने की कार्यवाही की जाय। सिटी स्ट्रीट वेंडिग प्लान योजना प्राधिकारी (विकास प्राधिकरण आदि) के परामर्श और नगर क्रिय समिति के सिफारिस पर नगर निगम/नगर पालिका द्वारा बनाये जाने का प्राविधान है। इसे पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ क्रिय विनियमन) अधिनियम 2014, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ क्रिय विनियमन) नियमावली 2017, उ0प्र0 पथ विक्रेताओं हेतु योजना 2016 तथा दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक पथ विक्रेताओं को सहायता के प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों के अनुरुप तैयार की जायेगी।

जौनपुर में अभी तक पथ विक्रेताओं के सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। एजेन्सी को नोटिस दी जाय। यदि एक सप्ताह में कार्य प्रारम्भ न हो तो एजेन्सी का कार्यादेश निरस्त करने की कार्यवाही की जाय।

MIS- DAY-NULM के अन्तर्गत शहरों द्वारा MPR में प्रस्तुत किये जा रहे घटकवार आंकड़ों एवं MIS पर इंट्री किये गए आंकड़ों में भिन्नता परिलक्षित हो रही है। सभी शहरों को निर्देशित किया गया है कि MPR एवं MIS की भिन्नता को अतिशीघ्र दूर करें अन्यथा भिन्नता परिलक्षित होने की दशा में कठोर कार्यवाही की जायेगी।

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना

- बी0एस0यू0पी0 योजनान्तर्गत जनपद मेरठ, इलाहाबाद, वाराणसी के परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे शीघ्र उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा कम्पलीशन शीघ्र प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त जनपद आगरा में विकास प्राधिकरण वाली परियोजना में आ रही समस्या के दृष्टिगत परियोजना अधिकारी पूर्ण विवरण तैयार कर मुख्यालय को प्रस्तुत करें ताकि इस संबंध में अतिरिक्त कार्यवाही की जा सकें।

- बी0एस0यू0पी0 योजनान्तर्गत जनपद– मथुरा के परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि 15 दिन के अन्दर आवासों का आवंटन सुनिश्चित करें तथा इसका विवरण भी मुख्यालय को भेजें।
- आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत जनपद–अमरोहा, बदायूं, बागपत, बांदा, बरेली, चित्रकूट, मेरठ, हमीरपुर, चन्दौली, मथुरा, हरदोई, लखनऊ के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आवासों का आवंटन शीघ्र कराते हुए उनका कम्पलीशन प्रमाण–पत्र शीघ्र मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि बीएसयूपी /आईएचएसडीपी योजनान्तर्गत आवासों को पूर्ण कराते हुये प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रांश की यू0सी0 तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत जनपद– देवरिया के परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि यदि परियोजनान्तर्गत आवास निर्माण प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है तो धनराशि सूडा मुख्यालय को वापस कर दें। जनपद मैनपुरी व मथुरा के परियोजना अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 30.06.2017 तक आवास निर्माण पूर्ण हो जाएगा।

(कार्यवाही सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

राजीव आवास योजना

राजीव आवास योजनान्तर्गत संबंधित जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि अपूर्ण परियोजनाओं को प्रत्येक दशा में जून, 2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित् किया जाये। परियोजना अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि वे अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शीघ्र उपलब्ध कराये जिससे कि भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत यदि लाभार्थी नहीं मिल पा रहे हैं तो जनपद स्तरीय कमेटी की अनुमति लेकर धनराशि मुख्यालय को वापस कर दें।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

आसरा योजना

- समीक्षा बैठक में कार्यदायी संस्था तथा परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जिन आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है केवल उन्हीं को पूर्ण किया जाये अनारम्भ आवासों का कार्य प्रारम्भ न किया जाये। अवस्थापना सुविधा की लम्बित डी0पी0आर0 पर भी शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- यदि किसी स्वीकृत परियोजना में किसी विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नही हो पा रहा है तो उसकी स्वीकृत धनराशि तत्काल मुख्यालय को वापस कर दें।

(संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

ई–रिक्शा योजना

मोटर–बैटरी चालित ई–रिक्शा योजनान्तर्गत निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों में वितरित ई–रिक्शों का पंजीकरण नहीं हो सका है वे तत्काल पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें तथा यदि उक्त मद में धनराशि अवशेष पड़ी है तो उसे तत्काल मुख्यालय को वापस कर दिया जाये।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित डूडा)

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त में यह निर्देशित किया गया था कि सभी जनपद के जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर जनपदों में प्राप्त आवेदन पत्रों पर समयानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, अन्तरण के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि के अन्दर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दें। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं कृत कार्यवाही का विवरण नियमित रूप से अभिकरण मुख्यालय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। खेद का विषय है कि जनपदों द्वारा अपेक्षित सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। अभिकरण मुख्यालय पर अनापेक्षित प्रथम अपीलों के योजित होने के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये गये कि जनपद स्तर से यथा समय आवेदन पत्रों का निस्तारण न किये जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः यह निर्देशित किया कि जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर आवेदन पत्रों का यथा समय निस्तारण करें।

(कार्यवाही–जनसूचना अधिकारी/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

अर्बन स्टेटिटिक्स फॉर एच आर एण्ड एसेस्मेंट्स (USHA)

ऊषा, स्लम सर्वे के अन्तर्गत जनपदों– बहराइच, इटावा, हमीरपुर, कासगंज, ललितपुर मऊ, मेरठ, मुज्जफरनगर, रामपुर, श्रावस्ती को निर्देशित किया गया कि इस योजना हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र तत्काल प्रेषित करें एवं अनुपयोग की स्थिति में धनराशि अभिकरण मुख्यालय को वापस करना सुनिश्चित करें।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जनपद– औरैया, बागपत, कुशीनगर, ललितपुर, मथुरा, मेरठ, मुज्जफरनगर, रामपुर, शाहजहॉपुर, शामली, सीतापुर, श्रावस्ती के पास धनराशि अवशेष है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी लंबित है, को निर्देशित किया गया कि वे एक सप्ताह में लेखा मिलान कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और यदि धनराशि व्यय नहीं हो पायी है तो उसे एक सप्ताह में मुख्यालय को वापस करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–संबंधित सूडा/डूडा)

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–सबके लिये आवास –

1– प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत डाटा–प्रमाणीकरण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गयी। तत्क्रम में परियोजना अधिकारी डूडा – बरेली, मेरठ, झांसी द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित संस्था द्वारा नगर निगम में डाटा प्रमाणीकरण का कार्य अभी प्रारम्भ नही हो पाया है। इस संबंध में सम्बन्धित संस्था को निर्देश दियें गयें कि उपरोक्त नगर निगमों में तत्काल कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित किया जायें।

2– जनपद–बदायूं, बांदा, महोबा, हमीरपुर, बुलन्दशहर, बागपत, मुजफरनगर, गोण्डा के परियोजना अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके जनपदों की कुछ निकायों में डाटा प्रमाणीकरण का कार्य अभी प्रारम्भ नही हुआ है। तत्क्रम में सम्बन्धित संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि तीन दिवस के अन्दर सम्बन्धित परियोजना अधिकारी/अधिशासी अधिकारी से सम्पर्क करते हुए विशेष कैम्प लगाकर कार्य प्रारम्भ करायें।

3– बैठक में सभी परियोजना अधिकारियों को अवगत कराया गया है कि प्रथम चरण में 50000 आवासों की डी0पी0आर0 तैयार कर भारत सरकार से स्वीकृत करायी जानी है। अतः इस दिशा में त्वरित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4– परियोजना अधिकारी कानपुर नगर, द्वारा अवगत कराया गया कि कानपुर नगर की निकायों में डाटा प्रमाणीकरण पूर्ण हो गया है, अतः प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाना है। तत्क्रम में सम्बन्धित संस्था को निर्देशित किया गया है की उक्त कार्य में जनपद स्तर पर सहयोग प्राप्त करते हुए शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जायें। इस संबंध में यह भी निर्देश दिए गए की जिस निकाय की डी0पी0आर0 स्वीकृत हो गयी है वहां कार्य प्रारम्भ करा दिया जाएं।

5– बैठक में उपस्थित सभी कन्सलटेन्टस को निर्देशित किया गया कि वे सभी सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों के नियमित सम्पर्क में रहते हुए अपने कार्यों की पूर्ण जानकारी उनको नियमित रूप से उपलब्ध करायें।

6– समीक्षा बैठक में परियोजना अधिकारी, अम्बेडकरनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर द्वारा जनपद की समस्त निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत आवेदनकर्ताओं के पास भूमि सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में भू–स्वामित्व सम्बन्धी शपथ–पत्र (भू–स्वामी की फोटो स्वयं द्वारा प्रमाणित निशानी अंगूठे सहित) प्रस्तुत कर सकते हैं।**

उक्त के क्रम में निदेशक महोदय द्वारा सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अधिकांशतः नगर पंचायतों में **"भूमि आबादी"** दर्ज है और उक्त पर कई वर्षों से लाभार्थी रह रहे है। अतः कोई पात्र व्यक्ति उक्त योजना में लाभ लेने से वंचित न रह जाये इसके दृष्टिगत आवेदन कर्ताओं से भू–स्वामित्व संबंधी शपथ पत्र भी ले सकते है। उक्त संबंध में जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, अम्बेडकर नगर के पत्रांक–. 114/डुडा/प्र0मं0श0आ0योजना/2017–18 .दिनांक 09.06.2017 द्वारा जारी पत्र को उदाहरण स्वरूप अन्य जनपदों में भी आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर, निर्देश प्राप्त कर भू–स्वामित्व सम्बंधी शपथ पत्र ले कर पात्र लाभार्थी को योजनान्तर्गत सम्मिलित करने की कार्यवाही की जा सकती है।

7– समीक्षा बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि 30 जून,2017 तक डाटा प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण कराते हुये जुलाई मासान्त तक प्लान ऑफ एक्शन तैयार कराना सुनिश्चित किया जाये।

<u>जनसुनवाई (आई0जी0आर0एस0)</u> –

समीक्षा बैठक में **आई0जी0आर0एस0** प्रणाली के अन्तर्गत जनपदों– मेरठ, बरेली, आगरा, लखनऊ, मथुरा, फैजाबाद, कानपुर नगर, बिजनौर, फतेहपुर, महोबा, के परियोजना अधिकारियों को जनसुनवाई से सम्बन्धित अन्तरित/लम्बित प्रकरणों को एक सप्ताह में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये।

समीक्षा बैठक के अन्त में सभी उपस्थित परियोजना अधिकारियों तथा सिटी मिशन मैनेजरों को निर्देशित किया गया कि वे प्रदेश में लागू ई–टेण्डरिंग प्रणाली से अवगत होने हेतु यू0पी0एल0सी0 द्वारा आयोजित चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करें।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक– 1128/110/तीन/97 **Vol-VII** दिनांक– 29/6/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. निदेशक कैम्प/अपर निदेशक कैम्प वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
6. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
8. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
9. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक